Member of Parliament Local Area Development Scheme

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
सरदार पटेल भवन, नई दिल्ली -110001
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF STATISTICS & PROGRAMME IMPLEMENTATION
SARDAR PATEL BHAVAN, NEW DELHI-110001
FAX : 23364197
E-mail : mplads@nic.in

सं.सी/4/2005-एमपीलैड्स

दिनांक 28.04.2011

Dated .....

सेवा में,

आयुक्त,
निगम, कोलकाता/चेन्नई/दिल्ली
जिलाधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट/उपायुक्त (सभी),

विषयः-विकलांग व्यक्तियों के कल्याण हेतु एमपीलैड्स निधियों का उपयोग करने के बारे में स्पष्टीकरण ।

महोदय/महोदया,

सरकार को इस अनुरोध के साथ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों की सहायतार्थ कुछ एमपीलैड निधि व्यय करने की सांसदों को अनुमति दी जाए । यह दलील दी गई है कि शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को कई तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और भारत सरकार की यह सामान्य नीति है कि उनकी स्थिति में सुधार करने हेतु हर संभव प्रयास किए जाएं ।

2. मंत्रालय में इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की गई । यह महसूस किया गया है कि जन प्रतिनिधियों के रूप में सांसदों को इस देश में शारीरिक रूप से विकलांगों के प्रति अपनी चिन्ता व्यक्त करते हुए उनकी सहायतार्थ अपनी एमपीलैड निधि की कुछ राशि व्यय करने की अनुमति देना उपयुक्त रहेगा ताकि विकलांग व्यक्ति बेहतर जीवन जी सकें ।

3 सरकार को यह ज्ञात है कि एमपीलैड के मौजूदा दिशा-निर्देशों के अनुबंध-II की मद संख्या 11 में व्यक्ति विशेष को सहायता निषिद्ध की गई है । काफी विचार-विमर्श के बाद यह निर्णय लिया गया है कि आम लोगों के हित को ध्यान में रखते हुए, केवल विकलांग व्यक्तियों के मामले में इस शर्त में छूट दी जानी चाहिए । तदनुसार यह निर्देश दिया जाता है कि अब से, सांसद विकलांग व्यक्तियों को सहायता पहुंचाने के लिए, अपनी एमपीलैड निधियों से प्रति वर्ष अधिकतम 10 लाख रू. (दस लाख रू.) की राशि खर्च कर सकेंगे ।

4. यह सुनिश्चित करने के लिए कि धनराशि का उचित उपयोग हो रहा है, यह निर्देश दिया जाता है कि विकलांग व्यक्तियों के लिए केवल तिपहिया साइकिलें और कृत्रिम अंग खरीदने के लिए ही यह सहायता दी जाए । यह भी निर्देश दिया जाता है कि जिले का मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ) ,इस प्रकार की सहायता से संबंधित सभी आवेदनों की जांच करेगा और अनुमोदित करेगा ताकि समुचित पात्रता सुनिश्चित की जा सके । पात्र व्यक्तियों के चयन में, जिला कलैक्टर/उपा युक्त के अधीन जिला प्राधिकारियों को पूरी तरह शामिल किया जाएगा ।

5. यह परिपत्र 1 जून, 2011 से प्रभावी होगा ।

भवदीय,
मिनी
(मिनी प्रसन्नाकुमार)
उपनिदेशक
दूरभाषः 011-23361247

प्रतिलिपिः-

1. माननीय सभी संसद सदस्य (लोकसभा और राज्यसभा) ।
2. सचिव, एमपीलैड्स से संबंधित नोडल विभाग (सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र) ।
3. श्री डी.बी.सिंह, संयुक्त सचिव, राज्यसभा सचिवालय, नई दिल्ली।
4. श्री हरदेव सिंह, निदेशक, लोकसभा सचिवालय, नई दिल्ली।
5. एमपीलैड्स प्रभाग में सभी संबंधितों को ।
6. एनआईसी को एमपीलैड्स वैबसाइट पर डालने हेतु ।